

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India

BOI



असाधारण आम बैठक

मंगलवार, 29 मार्च, 2016

सुबह 10.30 बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Tuesday, 29th March, 2016

10.30 A.M.

प्रधान कार्यालय
स्टार हाउस, सी-5 जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई -400 051.



रिश्तों की जमापूँजी

HEAD OFFICE
STAR HOUSE, C 5,G BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX,
BANDRA (EAST),
MUMBAI 400 051

सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2016 को सुबह 10.30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी -5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित विशेष कारोबार करने के लिए की जाएगी:

मद सं. 1 : प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर पारित करने हेतु

संकल्प किया जाता है कि इस संबंध में भारत सरकार के अनुमोदन की शर्त के अध्यक्षीन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधान 3(2ए), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एण्ड मिटिंग्स) विनियमन, 2007 के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई) के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई है, के अध्यक्षीन और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई है (उसमें किए गए संशोधन या उसका पुनः अधिनियमन शामिल) और उसके तहत बनाए गए नियमों, योजनाओं, परिपत्रों के अनुसार बैंक के शेयरधारक एतद्वारा सहमति देते हैं कि बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी मौजूदा रु.3000,00,00,000 (रुपए तीन हजार करोड़) जो 300,00,00,000 (तीन सौ करोड़) रु.10/- प्रत्येक के शेयर में विभाजित है को रु.6000,00,00,000 (रु.छह हजार करोड़) जो 600,00,00,000 (छह सौ करोड़) रु. 10/- प्रत्येक के शेयर में विभाजित जिसे रु.10/- प्रत्येक के अतिरिक्त 300,00,00,000 (तीन सौ करोड़) शेयर सृजित करके किया जाएगा जो सभी संदर्भ में बैंक के मौजूदा शेयर्स के रैकिंग के समरूप होगा।

मद सं. 2 : नई पूंजी और टियर-I / टियर-II बॉन्ड के निर्गम हेतु अनुमोदन

एक विशेष संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उपयुक्त माना गया तो निम्नलिखित संकल्प को आशोधनों के साथ या बिना पारित करने हेतु :

यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2009 सेबी-आईसीडीआर विनियमन, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन/आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय-समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड (इसके पश्चात इसे बोर्ड कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को निम्नलिखित हेतु सहमति प्रदान की जाती है :-

- क) नकद पर प्रत्येक 10/- के अंकित मूल्य के **82,00,00,000 (82 करोड़)** तक नए इक्विटी शेयर सृजित, ऑफ़र, इश्यू और आबंटित, ऐसे प्रीमियम पर करना कि वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी बैंक के रु. 3000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है या भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार किए जाने वाले संशोधन (यदि कोई) के अनुरूप वर्द्धित प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है, यदि इस बैठक के संकल्प सं.1 के अनुसरण में संशोधित हो, कि केन्द्र सरकार की शेयर संहिता हमेशा बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाज़ार भाव के प्रति प्रीमियम पर,
- बी) आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थायी नामे लिखतों गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों जिसमें अधीनस्थ डिबेंचर शामिल हैं पर उस तक सीमित नहीं, बॉन्ड्स, स्थायी नॉन-क्यूमुलेटिव अधिमानी शेयरों और/या अन्य नामे प्रतिभूतियों/अधिमानी शेयरों आदि में, निजी प्लेस्मेंट/सार्वजनिक निर्गम आधार पर, एक या अधिक श्रृंखला (tranches) में, अभिदान करने हेतु ऑफ़र करनेया आमंत्रित करने हेतु, जिसे इस विशेष संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी राशि जो **रुपये 10,000 करोड़** (दस हजार करोड़ मात्र) से अधिक न हो, के लिए आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा टियर I या टियर II पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

ऐसा ऑफ़र/आमंत्रण, एक या अधिक सदस्यों, बैंक कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों, निवेश संस्थाओं (एफआईआई), सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स (QIB) जैसे विदेशी

संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्था, भारतीय म्यूचुअल फण्ड्स, वेन्चर कैपिटल फण्ड्स, विदेशी वेन्चर कैपिटल निवेशक, राज्य उद्योग विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य निकाय, प्राधिकरण या किसी अन्य वर्ग के निवेशक जो बैंक की इक्विटी/अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों में भाग लेने हेतु प्राधिकृत हैं, में से एक या अधिक श्रृंखला (tranches) में, वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों या उक्त के किसी मिश्रण के अनुरूप, जैसा बैंक उचित समझे किया जा सकता है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, प्रतिभूतियों का इस प्रकार का निर्गम, ऑफ़र या आबंटन, क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP), पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट या विकल्प के साथ या बिना उसके, लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार निर्गम के किसी अन्य तरीके द्वारा किया जाएगा तथा ऐसे ऑफ़र, निर्गम, प्रतिभूतियों का स्थापन एवं आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, सेबी (पूँजी एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (आई सी डी आर विनियमन) के प्रावधानों एवं आर बी आई, सेबी और यथा लागू किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा और ऐसे समय पर तथा ऐसी निबंधनों एवं शर्तों पर किया जाएगा जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित समझे।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, उक्त निर्गमों के संबंध में, बोर्ड को, ऐसे मूल्य या मूल्यों के संबंध में जो आई सी डी आर विनियमनों के संगत प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित हो, ऐसे तरीके से और जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या अंडरराइडर्स एवं/या अन्य सलाहकारों, के परामर्श से, और बोर्ड द्वारा आई सी डी आर विनियमनों, अन्य विनियमनों और सभी अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप, निर्णय लेने का पूर्ण प्राधिकार होगा, और/या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के वर्तमान शेयरधारक हो या न हों।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अनुसरण में क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट के मामले में

ए) आई सी डी आर विनियम के अध्याय VIII के अर्थानुसार प्रतिभूतियों का आबंटन केवल क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल बायर को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियाँ सम्पूर्ण चुकता होगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन संकल्प की तारीख से 12 महीने के अंदर पूरा करना होगा।

बी) बैंक आई सी डी आर विनियम के अनुसरण में फ्लोर मूल्य के पाँच प्रतिशत की अधिक छूट पर शेयर ऑफ़र करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं।

सी) प्रतिभूतियों का फ्लोर मूल्य निर्धारण करने की संबंधित तारीख आई सी डी आर विनियम के अनुसार होगी।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, बोर्ड को यह प्राधिकार एवं शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/आर बी आई/सेबी/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, अथवा ऐसे प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मपतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, एन आर आई, एफ आई आई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को उक्त प्रतिभूतियों का निर्गम एवं आबंटन, यदि कोई, यथा लागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आर बी आई के अनुमोदन के शर्त के अध्वधीन, परंतु अधिनियम एवं अन्य लागू विनियमकों के तहत निर्धारित समग्र सीमाओं के तहत, किया जाएगा।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, जारी किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर्स यथा संशोधित बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 2007 के अध्वधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी संदर्भ में बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों, लाभांश सहित, यदि हो, के समरूप रैंक के होंगे।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि किसी अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार, निक्षेपक(कों) के साथ ऐसी व्यवस्थाओं में प्रवेश और निष्पादित कर सकते हैं और ऐसी कोई एजेन्सी जो उपरोक्त प्रतिभूतियों के ऑफ़रिंग में शामिल हो या से संबंधित हो और कमीशन, ब्रोकरेज, फीस या समरूप के द्वारा उन संस्थाओं और एजेन्सियों को पारिश्रमिक दे सकते हैं और ऐसी एजेन्सियों के साथ व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में प्रविष्टि और निष्पादित कर सकते हैं।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, उपर्युक्त को प्रभावी करने के प्रयोजन से, बोर्ड ने अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के सलाह से इस निर्गम के प्रकार और शर्तों को इसके द्वारा तय करने के लिए प्राधिकृत है, जिसमें उपरोक्त प्रतिभूतियाँ किस वर्ग के निवेशकों को आबंटित की जाए, प्रत्येक ट्रान्च में आबंटन की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का रूपांतर/वारंटों का उपयोग/प्रतिभूतियों का रीडेम्पशन, ब्याज दर, रीडेम्पशन अवधि, इक्विटीशेयर/अधिमानी शेयर की संख्या या प्रतिभूतियों के रूपांतर या रीडेम्पशन या रद्द करने पर अन्य प्रतिभूति, कीमत, प्रीमियम या निर्गम पर छूट/प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख तय करने या बही बंद करने और संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण जो बोर्ड अपने संपूर्ण विवेक में ठीक समझे शामिल है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, उपर्युक्त प्रतिभूतियाँ जो अभिदत्त नहीं होती है उन्हें बोर्ड जैसा ठीक समझे और जैसा कानून द्वारा अनुमत हो, बोर्ड द्वारा उनके पूर्ण विवेकाधिकार द्वारा निपटान किया जा सकता है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करें जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी सवाल, दिक्कत अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयर/प्रतिभूतियों के जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजों को जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति या अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि, बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपरोक्त संकल्प को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) अथवा कार्यपालक निदेशक/गण व अन्य उपयुक्त अधिकारी(यों) को इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।

निदेशक मण्डल के आदेश से

प्रमोद रेगो
(मेलविन रेगो)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29-02-2016

टिप्पणियां

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

1. बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म बुधवार, 23 मार्च, 2016 को बैंक के कार्य की समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।
2. किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में बुधवार, 23 मार्च, 2016 को बैंक के कार्य समय समाप्ति अपराह्न 4.30 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो।
3. शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर “परोक्षी” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।
4. कार्यसूची मद हेतु व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
5. शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के अंतरण और शिकायत निवारण के लिए वे बैंक या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स शेयर प्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि. को निम्नलिखित पते पर लिखें:

कंपनी सचिव बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, 8 वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. फोन 66684444 ई-मेल : Headoffice.share@bankofindia.co.in Website: www.bankofindia.co.in	बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स : मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि. यूनिट : बैंक ऑफ इंडिया, 13 एबी समहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स, निकट अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन, साकीनाका, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400 072. टेलीफोन: 22- 67720300/ 67720400 फैक्स : 22- 28591568 ई मेल: boishareproservices.com
--	---

6. ई वोटिंग

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं. कंपनी सेक्रेटरीज़ को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्कूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा 22 मार्च, 2016 ईकटिरी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

7. ई-वोटिंग अनुदेश

- i. शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा **22 मार्च, 2016** (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।
- ii. वोटिंग अवधि, **26 मार्च, 2016** के सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और **28 मार्च, 2016** को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा।
- iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा।
- iv. shareholders पर क्लिक करें।
- v. अब अपने यूजर आईडी की प्रविष्टि करें।
 - (ए) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी
 - (बी) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी
 - (सी) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।
- vi. डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- vii. यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- viii. यदि आप पहली बार ई वोटिंग कर रहे हों तो निम्नलिखित का पालन करें :-

	डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक पीएएन (PAN) की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) - जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने 8 अंकों का डिमैट नं. या फोलियो नं. पीएएन के स्थान पर सूचित करें। - यदि फोलियो नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों (बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में "0" जोड़ें। अर्थात् यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और फोलियो नंबर 1 है तो पीएएन फील्ड में R0000001 लिखें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (DOB)	आपके डीमैट खाते में या बैंक अभिलेख में कथित डीमैट खाते या फोलियो हेतु रिकॉर्ड किए गए लाभांश बैंक ब्यौरों या जन्म तिथि (dd/mm/yyyy) प्रारूप में प्रविष्टि करें। यदि ब्यौरे डिपॉजिटरी या बैंक में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

- ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात SUBMIT पर क्लिक करें।
- x. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे Bank selection स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरों का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- xii. संगत Company Name जिस पर आप वोट करना चाहें, उसके लिए EVSN पर क्लिक करें।
- xiii. वोटिंग पृष्ठ पर आपको Resolution Description दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु "Yes/No" दिखेगा। इच्छानुसार 'Yes' या 'No' विकल्प चुनें। 'Yes' विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और 'No' विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।

- xiv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक confirmation box प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो "OK" पर क्लिक करें अन्यथा आपका वोट बदलने के लिए CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- xv. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvi. आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर click here to print' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
- xvii. यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और "Forget Password" पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।
- xviii. गैर-एकल शेयरधारक और कस्टोडियन
गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति), एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia-com को ई मेल की जानी चाहिए जिसकी प्रति लिपि scrutinizer@snaco.net को भेजी जाए।
 - लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूजर उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
 - खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia-com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
 - उनको कस्टोडियन के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में लोड करना होगा ताकि स्क्रीटिनाइजर इसकी जांच कर सके।
- xix. ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (FAQ) और www.evoting.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं। अथवा helpdesk@cdslindia.com को ई मेल लिख सकते हैं।
- xx. बहुफोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।
- xxi. रिमोटई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।
- xxii. कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते या असाधारण आम बैठक में वोटिंग के समय वोट नहीं दे सकते हैं। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विमर्श, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।
- xxiii. आप फोलियो में यूजर प्रोफाइल ब्योरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।
8. बैठक में मतदान करना कार्यसूची मदों पर चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित शेयरधारक और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए उनका वोट नहीं दिया है वे बैठक में मतदान के जरिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त स्क्रीटिनाइजर के तहत मतदान आयोजित और पर्यवेक्षित की जाएगी। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष महोदय बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे।
9. मतदान के परिणाम के साथ जोड़कर रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

स्थान : मुंबई

दिनांक: 29.02.2016

निदेशक मंडल के आदेश से

प्रमोद रेगो
(मेलविन रेगो)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

व्याख्यात्मक विवरणपत्र

मद संख्या 1

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम -1970 की धारा 3 (2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी रूपये तीन हजार करोड़ है जो रु.दस प्रत्येक के तीन सौ करोड़ के संपूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित है।

बैंक की वर्तमान चुकता पूंजी रु.812.64 करोड़ है और मद सं 2 में उल्लेखित प्रस्तावित निर्णय के पश्चात यह काफी बढ़ सकता है।

अतः भविष्य में बैंक की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राधिकृत पूंजी को रु.3000 करोड़ से बढ़ाकर रु.6000 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

यह संकल्प भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद और/या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम -1970 और उसके तहत योजना/नियमों में आवश्यक संशोधन करने के बाद ही प्रभावी होगा।

मद संख्या. 2

1. बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी रु 3000 करोड़ है और आज की तिथि में बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रु.812.64 करोड़ है।
2. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 27.06.2015 को आयोजित बैठक में 20 करोड़ इक्विटी शेयर के निर्गम और रु.6000 करोड़ की राशि का टियर-I/टियर-II बॉण्ड/पूंजी के लिए अनुमोदन दिया है जिसे बाद में दिनांक 20.07.2015 को आयोजित बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके बाद बैंक ने क्रमशः अधिमानी निर्गम और निजी प्लेसमेंट के जरिए 14,70,04,655 इक्विटी शेयर और रु.3000 करोड़ की राशि का टियर-II बॉण्ड जारी किया है। उक्त शेयरधारकों द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार बैंक अभी भी अतिरिक्त 12,29,95,345 इक्विटी शेयर और रु.3000 करोड़ राशि का टियर- I/टियर-II बॉण्ड/पूंजी जारी कर सकता है। तथापि अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता पर विचार करते हुए बैंक संकल्प में दिए गए के अनुसार और भी पूंजी जारी करने हेतु अनुमोदन मांग रहा है।
3. वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता रु.555.37 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 68.40% है। 31 दिसंबर, 2015 को पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्तियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि ₹ (करोड़ों में)	पूंजीगत निधि से जोखिम भारित आस्ति बासेल-III का %
जोखिम भारित आस्तियां	3,51,113	
कॉमन इक्विटी कैपिटल(सीईटी-1)	24,580	7.00
अतिरिक्त टियर-I पूंजी	3,085	0.88
टियर-I पूंजी	27,665	7.88
टियर -II पूंजी	11,948	3.40
कुल पूंजी	39,613	11.28

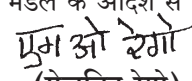
4. बैंक पिछले कई वर्षों से एक उल्लेखनीय औसत वृद्धि दर पर सामान्य गति से विकास कर रहा है। लंबी अवधि के संसाधन जुटाने एवं सामान्य उधार उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के माध्यम से कारोबार विस्तार करने हेतु निधियों की वृद्धिशील आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसाकि निदेशक मंडल विनिश्चित करे, जो समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2009 और इस संबंध में लागू सेबी/आरबीआई के विनियमन/दिशानिर्देशों के अनुसार, क्वालिफ़ाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट(QIP)/फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (FPO)/इक्विटी शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट , टियर- I बॉण्ड ,टियर-II बॉण्ड,अधिमानी शेयर के माध्यम से, बैंक ने निधियां जुटाने का प्रस्ताव किया है।
5. वर्तमान संकल्प का पारित किया जाना इसलिए भी प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उचित समय, तरीके, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर उपरोक्त इक्विटी निर्गम,टियर I/टियर II पूंजी जारी कर सके।
6. बैंक के निदेशक मंडल द्वारा उपरोक्त अधिमानी निर्गम और आबंटन किए जाने के लिए वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है।

आपके निदेशक नोटिस में दिए गए विशेष संकल्पों की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशकगण/मुख्य प्रबंधकिय कार्मिक (KMP) वा उनके रिश्तेदार इस नोटिस के संकल्प (पों) में उसी सीमा तक संबंधित या हितबद्ध माने जाएंगे जिस सीमा तक इस बैंक में उनकी शेयरधारिता है।

स्थान : मुंबई

दिनांक: 29.02.2016

निदेशक मंडल के आदेश से

 (मेलविन रेगो)
 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Bank of India will be held on Tuesday **29th March 2016 at 10.30 AM** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051 to transact the following **special businesses**:

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution.

Item No. 1: Increase in Authorised Capital

“RESOLVED THAT subject to approval of Government of India in this regard, pursuant to the provisions of Section 3 (2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI) and other applicable provisions, if any, (including any amendment thereto or re-enactment thereof) and the rules, schemes, circulars framed there under, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to increase the Authorized Share Capital of the Bank from existing Rs. 3000,00,00,000 (Rupees Three Thousand Crore) divided into 300,00,00,000 (Three Hundred Crore) Shares of Rs. 10/- each to Rs. 6000,00,00,000 (Rupees Six Thousand Crore) divided into 600,00,00,000 (Six Hundred Crore) Shares of Rs. 10/- each by creation of additional 300,00,00,000 (Three Hundred Crore) Shares of Rs. 10/- each ranking pari passu in all respect with the existing Shares of the Company.

Item No. 2: Approval to issue Fresh Capital and Tier-I / Tier-II Bonds

To consider and if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad

- a) Upto **82,00,00,000** (82 Crore) fresh equity shares of the face value of Rs.10 each for cash at such premium which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of Rs.3000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital, if amended pursuant to Resolution No. 1 of this Meeting or as per the amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price;
- b) for making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and /or other debt securities/ Preference Shares etc., on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding **Rs.10,000 Crore** (Rupees Ten Thousand Crore only), during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank”.

“RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment of Securities shall be by way of qualified institutional placement (QIP), public issue, rights issue, private placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other

guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.”
- b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable”

“RESOLVED FURTHER THAT, the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director/(s) or such other Officers of the Bank as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolutions.”

Place: Mumbai

Date: 29.02.2016

By order of the Board


(Melwyn Rego)
Managing Director & CEO

Notes:

1. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER. PROXY FORMS IN ORDER TO BE VALID AND EFFECTIVE MUST BE DELIVERED AT THE HEAD OFFICE OF THE BANK ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS OF 4.30 P.M. ON WEDNESDAY 23rd MARCH 2016
2. No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank on or before the closing hours of 4.30 p.m. on Wednesday 23rd March 2016
3. For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.
4. The explanatory statement to the item on the agenda is annexed hereto.
5. The shareholders are requested to write to the Bank or to the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Sharepro Services India Pvt. Ltd. regarding transfer of shares and for resolving grievances at the below address:

The Company Secretary
Bank of India, Head Office,
Star House, C – 5, 'G' Block
8th Floor, Bandra Kurla complex,
Bandra (East),
Mumbai 400 051.

Phone: 66684444. Email: headoffice.share@bankofindia.co.in
Website: www.bankofindia.co.in

Bank's Registrar and Share Transfer Agents:
M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,
Unit : Bank of India
13 AB Samhita Warehousing Complex
Off. Andheri Kurla Road
Sakinaka Telephone Exchange Lane
Sakinaka, Andheri East
Mumbai 400 072
Tel : 22- 67720300 / 67720400
Fax : 22 - 28591568
E mail: boi@shareproservices.com

6. E-Voting

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/S S N Ananthasubramanian & Co. Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **22nd March, 2016 being the Cut-off date** for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

7. E-voting Instructions

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on **22nd March 2016 (Cut-off Date)** fixed for the purpose.
- (ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on **26th March 2016** and will end at 5.00 p.m. on **28th March 2016**. The e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on shareholders
- (v) Now enter your User ID
 - (a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID
 - (b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID
 - (c) Members holding shares in physical form should enter Folio number registered with the Bank.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) - Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the demat account/folio No. in the PAN field. - In case the folio number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. Eg, if your name is Ramesh Kumar with folio number 1 then enter RA0000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company record in order to login. If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)

- (ix) After entering these details appropriately, click on `SUBMIT' tab.
- (x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach `password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.
- (xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name> on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see `Resolution Description' and against the same the option `Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you `CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the `Click here to print' option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the same password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Note for Non- Individual Shareholders and Custodians
- Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and CC to scrutinizer@snaco.net
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the accounts(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xix) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- (xx) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. **However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.**
- (xxi) The results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- (xxii) Kindly note that once you have cast your vote you cannot modify or vote on voting at the Extraordinary General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.
- (xxiii) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

8. Voting at the Meeting

After the agenda items have been discussed, the Chairman will order voting in respect the items on the agenda. Shareholders attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Voting, the Chairman may declare the meeting as closed.

9. The Results of the voting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board



(Melwyn Rego)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 29.02.2016

EXPLANATORY STATEMENT

Item number 1:

In terms of Section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act- 1970, the authorized capital of the Bank is Rupees three thousand crore divided into three hundred crore fully paid shares of Rs. Ten each.

The Present paid up capital of the Bank is Rs. 812.64 Crore and after the proposed issue as mentioned in Item no. 2 above, it may increase substantially.

Hence, it is proposed to increase the Authorized capital of Rs. 3000 Crore to Rs. 6000 Crore in order to meet future capital requirement of the Bank.

The resolution will be effective only after the receipt of approval from the Government of India and/ or necessary amendment in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act- 1970, and Scheme/Rules made thereunder

Item number 2:

- The Bank is in the business of the banking and related activities. At present, the Authorised Capital of the Bank is Rs.3000 crore and the Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is Rs. 812.64 Crore.
- The Board of Directors of the Bank at their meeting held on 27.06.2015, approved the issue of 26 crore equity shares and Tier-I/ Tier-II bonds/ capital for an amount of Rs. 6000 Crore, which was subsequently approved by the shareholders of the Bank at their meeting held on 20.07.2015. Thereafter, Bank has issued 14,70,04,655 equity shares and Tier- II bonds for an amount of Rs. 3000 Crore through preferential issue and private placement respectively. Pursuant to said shareholders approval , Bank has still room to issue an additional 11,29,95,345 equity shares and Tier I/ Tier-II bonds / capital for an amount of Rs. 3000 Crore, however, considering the additional capital requirement , Bank is seeking approval for further issue of capital as sought out in the resolution
- Presently, the shareholding of the Government of India in our Bank is Rs.555.37 Crore, which constitutes 68.40% of total paid-up capital of the Bank. The Capital fund to Risk Weighted Assets as on 31st December, 2015 is as under:

Particulars	Amount Rs. in Crore	% of capital funds to risk weighted asset Under Basel-III
Risk Weighted Assets	3,51,113	
Common Equity Capital (CET-1)	24,580	7.00
Additional Tier-1 Capital	3,085	0.88
Tier-I Capital	27,665	7.88
Tier-II Capital	11,948	3.40
Total Capital	39,613	11.28

- The Bank is growing at a normal pace at a reasonable growth rate over the last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Qualified institutional Placement (QIP)/ Follow on public offer (FPO)/ private placement of equity shares , Tier-I Bonds, Tier-II Bonds, preference shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.
- The present resolution is also proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares, Tier-I/ Tier-II capital at an appropriate time, mode premium and other terms.
- For reason aforesaid, the enabling resolution as set out in Item No. 2 of the notice is therefor recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board/executives of the Bank to finalize the terms of the Issue(s).

Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors/key managerial personal of the Bank/there relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank

By order of the Board



(Melwyn Rego)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 29.02.2016

बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

फोलियो नं. _____
(यदि डीमेट न किया गया हो)

डीपी आईडी नं. _____
ग्राहक आई डी नं. _____
(यदि डीमेट किया गया हो)

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

मैं/हम _____ निवासी _____ ज़िला _____ राज्य _____
_____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूँ/हैं और मैं/हम एतद्वारा श्री/श्रीमती _____ निवासी
_____ ज़िला _____ राज्य _____

को या उनके उपस्थित न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
ज़िला _____ राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से दिनांक
29 मार्च, 2016 को आयोजित बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए
परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

माह _____ की _____ 2016 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

नाम: _____

पता: _____

राजस्व टिकट

प्रथम / एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
 - एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में, शेयरधारक द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
 - संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हों।
 - निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होगी।
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, एश्वोर्स रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकारजिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो।
बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.
- बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
- विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक वार्षिक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

Bank of India

Head Office : Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Folio No. _____
(if not dematerialised)

DP ID No. _____
Client ID No. _____
(if dematerialised)

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

I/We, _____ resident of _____
in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/shareholders of
Bank of India, hereby appoint Shri/Smt _____, resident of _____
in the district of _____ in the state of _____ or
failing him/her Shri/Smt. _____ resident of _____ in
the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our
behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on 29th, March 2015 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2016.

Signature of Proxy _____

Name _____

Address _____

Revenue
Stamp

Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAY** before the date of the Extraordinary General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at: Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.



प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र
ATTENDANCE SLIP – CUM - ENTRY PASS

असाधारण आम बैठक हेतु
दिनांक: 29 मार्च, 2016, समय: प्रातः 10.30 बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date: 29th March, 2016, Time 10.30 AM

Bank of India Auditorium, Star House, C 5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

उपस्थिति पर्ची
(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP
(To be surrendered at the time of Entry)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) सदस्य/परोक्षी/एआर) NAME : IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं. Folio No./ Client ID No.:	शेयरों की संख्या No. of Shares

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of the shareholder / proxy / Representative present



प्रवेश पास
(पूरी बैठक के दौरान अपने पास रखा जाए)

ENTRY PASS
(To be retained throughout the meeting)

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) सदस्य/परोक्षी/एआर) NAME : IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं. Folio No./ Client ID No.:	शेयरों की संख्या No. of Shares

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/परोक्षियों अथवा प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जायेगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी यदि आवश्यक समझा गया तो प्रवेश के बारे में फिर से सत्यापन/जांच की जा सकती है। किसी भी हालत में बैठक हॉल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पर्ची की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जायेगी।

Share holders/proxy holders or representatives are requested to produce this attendance slip – cum – entry pass, duly signed, for admission to the meeting hall. The entry pass portion will be handed back to the shareholders/ proxy holders/ representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission will, however, be subject to verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum-entry pass will be issued at the entrance to the meeting hall.

पश्चलेख : बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जायेंगे।

P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.

GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE

